रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012022-232856 CG-DL-E-24012022-232856

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319] No. 319] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 24, 2022/माघ 4, 1943 NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 24, 2022/MAGHA 4, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2022

का.आ. 327(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में का.आ. संख्या 884 (अ), तारीख 19 दिसंबर, 1996 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "न्यायाधीश चंद्रशेखर शंकर धर्माधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "न्यायाधीश अरुण भाऊराव चौधरी" शब्द, रखे जाएंगे।

[फा.सं. 25/120/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपधारा (ii) में अधिसूचना संख्याक का.आ. 884(अ), तारीख 19 दिसंबर, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्याक का.आ. 1211(अ), तारीख 18 नवम्बर. 2002 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गयी थी:

485 GI/2022 (1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2022

S.O. 327(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Official Gazette *vide* S.O. 884 (E), dated the 19th December, 1996, namely:—

In the said notification, for the words "Justice Chandrasekhar Shankar Dharmadhikari", the words "Justice Arun Bhaurao Chaudhari" shall be substituted.

[F.No.25/120/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) *vide* notification number S.O.884(E), dated the 19th December, 1996 and last amended *vide* number S.O.1211(E), dated the 18th November, 2002